संख्या-16/3287/30-3-13-22बी/2000

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 25 नवम्बर, 2013

विषय- निष्प्रयोज्य घोषित वाहनों के सापेक्ष 02 अदद बोलेरो जीप व 02 अदद एम्बेस्डर कार के क्रय किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-118स्टोर्स्/इन्फ/2013-वाहन क्रय/08, दिनॉक 17-10-2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवहन विभाग में निष्प्रयोज्य घोषित 02 अदद जीप (पंजीयन संख्या-यूपी-32/एडी-3713, यूपी-32/एजी-3343) के प्रतिस्थापन हेतु दो बोलेरो जीप मॉडल-एसएलई/2 डब्लूडी/7 एसटीआर/बी0एस0-4, डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर पर, प्रति वाहन मूल्य रू0 6,37,225.58 की दर से क्रय किये जाने पर धनराशि रू0 12,74,451.16 व 02 अदद एम्बेस्डर कार (यूपी-32/वी-3888, यूपी-32/जी-2640) के प्रतिस्थापन हेतु दो एम्बेस्डर कार मॉडल-एम्बेस्डर ग्रान्ड 1800 आईएसजेड पेट्रोल बीयू एसी पीएस पीडब्लू सीएल एमपीएफआई (बीएस-4) रेडियल टायर्स, बॉडी कलर्ड बम्पर्स, मोबाइल चार्जिंग स्टेशन, एमपी-3 म्यूजिक सिस्टम विद कैटालिटिक कन्वर्टर, डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर पर, प्रति वाहन मूल्य रू0 5,78,688.00 की दर से क्रय किये जाने पर धनराशि रू0 11,57,376.00 अर्थात कुल धनराशि रू0 24,31,827.16 (रू0 चौबीस लाख इकतीस हजार आठ सौ सत्ताइस व पैसे सोलह मात्र) पूर्णांकित कुल धनराशि रू0 24,31,827.00 (रू0 चौबीस लाख इकतीस हजार आठ सौ सत्ताइस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त नये वाहनों का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर पर किया जायेगा तथा क्रय किये जाने वाले वाहन की गुणवत्ता तथा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दर की वैधता की अवधि सुनिश्चित कर ली जायेगी।

(2) उक्त नये वाहन उन्हीं स्थानों/कार्यालयों पर प्रतिस्थापित किये जायेंगे, जहॉ से वे निष्प्रयोज्य घोषित होकर नीलाम किये गये हैं।

(3) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निष्प्रयोज्य घोषित उक्त वाहनों के स्थान पर पूर्व में नया वाहन क्रय न किया गया हो।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग के अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में लेखाशीर्ष-"3055-सड़क परिवहन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय -14-मोटर गाडियों का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशा0 संख्या-ई-9-487/दस-2013, दिनॉक 25 नवम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0

संजय कुमार उपाध्याय,
उप सचिव।

2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-16/3287(1)/तीस-3-2013, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा, मेरठ, सहारनपुर (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0

(संजय कुमार उपाध्याय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in